भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 139

28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत स्वच्छ पादप कार्यक्रम

***139. श्रीमती भारती पारधीः**

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत स्वच्छ पादप कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में वाणिज्यिक बागों के लिए वायरस मुक्त मदरस्टॉक प्राप्त करने के लिए अधिदेशित उन्नत प्रमाणन और नैदानिक परीक्षण मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) घटिया अथवा संक्रमित पादप किस्मों के प्रसार को रोकने के लिए क्षेत्रीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाओं में क्या ढांचागत जांच प्रणाली स्थापित की गई है;

(घ) उच्च मूल्य वाली साइट्रस और अखरोट की फसलों के लिए क्लीनरूम सुविधाएं स्थापित करने वाली नर्सरियों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ङ) प्रमाणित नर्सरी डाटाबेस को ट्रैकिंग के लिए नेशनल डिजिटल पब्लिक मार्केटप्लेस नेटवर्क के साथ गतिशील रूप से जोड़ने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) इन सख्त वानस्पतिक स्वास्थ्य मानकों के बाद भारतीय फलों के निर्यात की वैश्विक बाजार स्वीकार्यता में कितना सुधार होने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत स्वच्छ पादप कार्यक्रम” के संदर्भ में लोक सभा में 28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 139 के भाग (क) से (च) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): जी हां, भारत सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत 1765.67 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वच्छ पादप कार्यक्रम शुरू किया है।

(ख): स्वच्छ पादप कार्यक्रम के अंतर्गत, अंगूर, पोम फ्रूट्स,सिट्रस, अनार, बेरी, अमरूद, आम, एवोकैडो, लीची और ड्रैगनफ्रूट जैसी क्लोन विधि से उगाई जाने वाली फलों के न्यूक्लियस/मूल स्टॉक (जी1) विकसित किए जाएंगे और आईसीएआर के फसल विशिष्ट संस्थानों के स्वच्छ पादप केंद्रों में इनका रखरखाव किया जाएगा। ये केंद्र नैदानिक परीक्षण करेंगे और परीक्षण तकनीकों और विधियों में निरंतर सुधार करेंगे। ये स्वच्छ रोपण सामग्री का रखरखाव करेंगे और प्रमाणित नर्सरियों को इसका वितरण भी करेंगे। रोग मुक्त मातृ पौधे मान्यताप्राप्त नर्सरियों के लिए प्रामाणिक रोपण सामग्री के स्रोत होंगे, जिससे वे वायरस-परीक्षित प्रमाणित रोपण सामग्री का उत्पादन कर सकेंगी। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में उगाई जानेवाली फसलों सहित, देश भर में उगाई जाने वाली सभी प्रमुख क्लोन विधि से उगाई जाने वाली फलों को कवर करता है।

(ग): इस कार्यक्रम के अंतर्गत, दूसरी जेनेरेशन (जी2) के पौध सामग्री के प्रवर्धन (मल्टिप्लिकेशन) के लिए उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने/स्थापित करने हेतु बड़े/मध्यम आकार की नर्सरियों को सहायता प्रदान की जाएगी। चिह्नित फसलों के लिए टिश्यू-कल्चर विधि/तकनीकों द्वारा पौध सामग्री का संवर्धन करने वाली कुछ नर्सरियाँ, बड़े पैमाने पर प्रवर्धन के लिए टिश्यू-कल्चर प्रयोगशालाएँ भी स्थापित करेंगी। निम्न गुणवत्ता वाली या संक्रमित पौध किस्मों के प्रसार को रोकने के लिए प्रस्तावित प्रमाणन योजना के माध्यम से इन प्रयोगशालाओं में संरचनात्मक जाँच की जाएगी।

(घ): स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी) के तहत, चिह्नित फसलों, जिनमें उच्च मूल्य वाले सिट्रस फल और अखरोट शामिल हैं, के लिए रोकथाम सुविधा, ग्रीनहाउस, मदर ब्लॉक और डायग्नोस्टिक लैब आदि स्थापित करने हेतु निजी नर्सरियों को सीधे विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से 15 बड़ी और 60 मध्यम नर्सरियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वित्तीय सहायता के वितरण हेतु विशिष्ट मानक तैयार किए जा रहे हैं।

(ङ): स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी) के अंतर्गत, स्वच्छ पौध केंद्रों, पंजीकृत नर्सरियों, मदर ब्लॉकों और प्रमाणित पौध सामग्री के पंजीकरण और निगरानी के माध्यम से स्वच्छ पौध सामग्री की संपूर्ण

ट्रेसेबिलिटी और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। वर्तमान में, प्रमाणित नर्सरी डेटाबेस को राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक बाज़ार नेटवर्क के साथ एकीकृत किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च): स्वच्छ पौध कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और रोगमुक्त पौध सामग्री की उपलब्धता में सुधार करना है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो, फलों की गुणवत्ता बेहतर हो और आयात करनेवाले देशों की फाइटोसैनिटेरी संबंधी आवश्यकताओं का बेहतर अनुपालन हो सके। इससे भारतीय बागवानी उत्पादों की वैश्विक बाजार में स्वीकार्यता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
